

प्रेस नोट दिनांक 01-11-2020

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड अभियान के अन्तर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के कुशल नेतृत्व में थाना साईबर क्राईम परिक्षेत्र सहारनपुर द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी युनुस पुत्र फजलुरहमान की जाँच की जा रही है। दौराने जाँच मुखबिर द्वारा सूचना मिली है कि, चौकी नुमाईश कैम्प क्षेत्र में गौरव उर्फ काकू के मकान में करीब 08-10 लोग एकत्रित होकर कुछ फर्जी काम कर रहे हैं। जिनके पास कम्प्यूटर, मोबाइल, कागज, आधार कार्ड आदि और कई प्रकार के इलैक्ट्रोनिक उपकरण हैं, ये लोग इन सब का प्रयोग करके कुछ फर्जी काम कर रहे हैं। इसी क्रम में दिनांक 31-10-2020 को थाना कोतवाली नगर पुलिस एवं थाना साईबर क्राईम परिक्षेत्र, सहारनपुर की संयुक्त टीम द्वारा चौकी नुमाईश कैम्प से ठगी करने वाले 10 शातिर अभियुक्तों को समय करीब 18.30 बजे गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1—हरदीप सिंह उर्फ गौरव बेदी पुत्र कुलदीप सिंह बेदी निवासी राधा विहार आश्रम वाली गली नुमाईश कैम्प थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर।
- 2—अरशदीप उर्फ हन्नी बेदी पुत्र कुलदीप सिंह बेदी निवासी राधा विहार आश्रम वाली गली नुमाईश कैम्प थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर।
- 3—अमन पोपली पुत्र मदनलाल पोपली निवासी न्यू गोपल नगर पीर के बराबर वाली गली नुमाईश कैम्प थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर।
- 4—गौरव गुम्बर उर्फ काकू पुत्र नाथूराम निवासी राधा विहार गली नं० 4 निकल काली मन्दिर थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर।
- 5—अमन गर्ग पुत्र प्रदीप गर्ग निवासी भूतेश्वर मन्दिर रोड माधव विहार कालौनी निकट हनुमान मन्दिर थाना मण्डी, सहारनपुर।
- 6—सन्नी उर्फ तेजेन्द्र सिंह पुत्र जसवीर सिंह निवासी पंजाबी बाग निकट शिव मन्दिर हकीकत नगर थाना सदर बाजार, सहारनपुर।
- 7—अंकित त्यागी पुत्र संजय त्यागी निवासी गौशाला रोड थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
- 8—भानू भक्त पोडले पुत्र ठगेश्वर पोडले निवासी अर्घातोष जिला अर्घाखाची राज्य लुम्बनी नेपाल हाल पता फलेट नं०— 606 सिल्वर आर्च अपराटमैन्ट 22 नम्बर फिरोजशाह रोज थाना बाराखम्बा दिल्ली।
- 9—पदम राज सुबेदी पुत्र चेतनारायण सुबेदी निवासी ग्राम हुंगा थाना सांरगा जिला लुम्बनी नेपाल हाल पता फलेट नं०— 606 सिल्वर आर्च अपराटमैन्ट 22 नम्बर फिरोजशाह रोज थाना बाराखम्बा दिल्ली।
- 10—मुमताज उर्फ छमकछल्लो निवासी रमजानपुरा, सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

- एक कम्प्यूटर मय सीपीयू
- एक थम्ब स्कैनर,
- एक प्रिन्टर,
- 24 मोबाइल फोन,
- 664 सिम कार्ड
- दो रजिस्टर मय सिम चिपके हुए, जिसमे सिम कार्डस/खाता धारको का विवरण
- नकद 4,50,000/- रुपये,
- 19 आधार कार्ड,
- 16 आधार कार्ड की छायाप्रतिया,
- 04 पेटीएम डिवाईस,
- 20 बार कोड,
- 01 मोहर,
- 03 बाजारु बैग

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ करने पर गिफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे जनता के भोले भाले व्यक्तियों को विभिन्न स्कीमों का लालच देकर उनके आधार कार्ड व फोटो ले लेते हैं। आधार कार्ड लेने के लिए एक महिला मुमताज उर्फ छमकछल्लो निवासी रमजानपुरा सहारनपुर को भी गैंग में शामिल किया हुआ है। वह गरीब व भोले भाले लोगों से बतायी हुयी स्कीमों का लालच व कुछ पैसे देकर उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो रोजाना लेकर आती है। एक आधार कार्ड व एक आदमी के हिसाब से 1000/-रुपये देते हैं और उस आदमी को स्कीमों के बारे में लालच देकर उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड व फोटो पर सिम लेकर तथा उस सिम पर पेटीएम का केवाईसी (KYC) अपडेट करके सिम को अपने पास रख लेते हैं तथा उन सिमों को दिल्ली में अपने गैंग के अन्य सदस्य को देकर आते हैं तथा एक सिम के हिसाब से 5800/-रुपये मिलते हैं। यह गैंग कम्प्यूटर की सहायता से आधार कार्डों से नाम व आधार नम्बर बदलकर फर्जी आधार कार्ड भी तैयार करते हैं, जिन्हें अन्य फर्जी कामों में प्रयोग में लाते हैं। जॉच के दौरान 1400 पेटीएम एकाउन्ट ब्लॉक कराये गये तथा जिसमें लगभग 53 लाख रुपये फीज कराये गये। अभियुक्तों से विस्तृत पूछताछ जारी है। इस गैंग से जुड़े सभी व्यक्तियों के बारे में जांच पड़ताल की जा रही हैं। गैंग में शामिल सभी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर प्रयास किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

- 1—श्री राकेश कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर मय फोर्स।
- 2—कम्प्यूटर आपरेटर गौरव तोमर, थाना साईबर क्राईम परिक्षेत्र, सहारनपुर।
- 3—का० 873 गौरव कुमार थाना साईबर क्राईम परिक्षेत्र, सहारनपुर।
- 4—म०उ०नि० यूटी मन्जु शर्मा थाना क००नगर, सहारनपुर।

प्रेस नोट दिनांक 01—11—2020

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के आदेशानुसार जनपद पुलिस द्वारा माह अक्टूबर में अवैध शराब, आम्सू एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, हत्या, लूट, चोरी आदि अपराधों को कारित करने वाले अपराधियों के विरुद्ध अभियान

चलाकर कुल 227 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भेजा जेल:-

अवगत कराना है, कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारी एवं प्रभारी निरीक्षक/थाना प्रभारियों को अवैध शराब, आम्सू एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, हत्या, लूट, चोरी आदि अपराधों में संलिप्त रहे अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाकर उनकी धरपकड़ हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में जनपद पुलिस द्वारा माह—अक्टूबर में विभिन्न अपराधों में संलिप्त रहे कुल 227 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। जिनमें अवैध शराब/कच्ची शराब बनाने वाले कुल 78 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कब्जे से 551 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण/भट्टी, 378 अवैध देशी/अंग्रेजी शराब की बोतल व 510 पवे देशी/अंग्रेजी शराब बरामद की गई हैं। इसके अतिरिक्त हत्या की 03 घटनाओं का सफल अनारण करते हुये घटना में शामिल रहे 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा लूट की 02 घटनाओं का अनावरण करते हुये 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कब्जे से लूट का सामान बरामद किया गया। इसके साथ—साथ चोरी की 03 घटनाओं का अनावरण किया गया, जिसमें घटनाओं में संलिप्त रहे 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कब्जे से चोरी का सामान, नगदी, आभूषण आदि सामान बरामद किया गया। गोकशी के अपराध में 03 मुकदमें पंजीकृत करते हुये 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा वाहन चोर गिरोह के 05 सदस्यों को गिरफ्तार कर कब्जे/निशादेही पर चोरी की 16 मोटर साइकिल, फर्जी नम्बर प्लेट आदि सामान बरामद किया गया। इसके साथ—साथ एनडीपीएस एक्ट में कुल 28 अभियुक्त गिरफ्तार किये गये, जिनमें चरस में 14, डोडा पोस्त में 04, स्मैक में 06, नशीली गोलियां में 01, भांग में 03 अभियुक्त गिरफ्तार करते हुये चरस, डोडा पोस्त, स्मैक, नशीली गोलियां व भांग के कट्टे बरामद किये गये। इसके अलावा आम्सू एक्ट के कुल 41 मुकदमें दर्ज करते हुये 44 अभियुक्त गिरफ्तार किये गये। पुलिस मुठभेड़ में 01 बदमाश को घायल/गिरफ्तार करते हुये मौके से तमचा/कारतूस आदि सामान बरामद किया गया। जुआ/सट्टे पर पूर्ण रोकथाम हेतु जनपद पुलिस द्वारा 36 मुकदमें दर्ज करते हुये कुल 54 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कब्जे से भारी मात्रा में नगदी, ताश के पत्ते व सट्टे की पर्चिया बरामद की गई। इस प्रकार जनपद पुलिस द्वारा माह अक्टूबर में विभिन्न अपराधों में संलिप्त रहे कुल 227 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

इसके अतिरिक्त मॉनेटरिंग सेल/थाना स्तर से की जा रही सशक्त पैरवी के चलते कुल 08 अभियुक्तों को कठोर कारावास व भारी अर्थदण्ड से दंडित कराने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद पुलिस को आगे भी उक्त अभियान को और अधिक सफल बनाने के लिये अधिक से अधिक अभियुक्तों की गिरफ्तारी व सशक्त पैरवी करते हुये अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाये जाने के दिशा—निर्देश निर्गत किये गये हैं।